उ0 प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था
U. P. State Organic Certification Agency
Government Garden Campus, Cariyappa Marg, Alambagh, Lucknow ï 226005
Contacts ï 0522-2451256 Fax No.-0522-245163 / +91-7991202027
Email id: - upsoca.org@gmail.com / Website: - upsoca.org

tSfod Ñf"k mRiknu fu;eksa ds lEcU/k esa vuqcU/k

;g vuqcU/k vkt fnukd-----------------------------------dks m0iz0 jkT; tSfod izek.khdj.k laLFkk] jktdh; m|ku ifjlj] dfj;lik jksM] vkyeckx] y[kuÅ

rFkk
¼vkijsVj dk uke o irk ½
(उत्पादक किसान /उत्पादक समूह)

ds e/; fd;k x;k A

vkijsVj fuEufyf[kr fu;eksa ds v{kj'k% ikyu djus gsrq d`r ladYi gS %

1. आपरेटर जैविक उत्पादन /संग्रहण/प्रसंस्करण/ अथवा जैविक उत्पाद का व्यापार राष्ट्रीय जैविक मानकों (नेशनल स्टैण्डर्स फार आरगैनिक प्रोडक्शन, एन0एस0ओ0पी0) , के अनुरूप करेगा।

2. आपरेटर उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था को सभी महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में तथा उत्पादन , प्रसंस्करण अथवा व्यापार , जिसमें परिवहन तथा अन्य उप ठेकेदार ,यदि प्रयोग किये गये हों आदि सम्मिलित है, के सम्बन्ध में यदि कोई परिवर्तन किया गया है , अथवा किया जाना है, जानकारी देगा एवं सूचित करेगा । ऐसे सभी मामले जिनमें जैविक उत्पाद मानकों के अनुरूप नहीं है/मानकों से कम हैं / या मानकों से अन्तर पर है , उस संदर्भ में जानकारी देगा तथा स्थिति को ठीक करने हेतु जो सुधार कार्य वह कर रहा है , एवं आगे करेगा उसके सम्बन्ध में जानकारी देगा ।

3. आपरेटर उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था को सभी सम्बन्धित परिणाम जिसमें उत्पाद परीक्षण परिणाम भी सम्मिलित है, की जानकारी देगा ।

4. आपरेटर जैविक उत्पादन इकाई हेतु न तो किसी प्रकार के रसायनिक उत्पाद अथवा कच्चा माल कभी खरीदेगा और न ही उनका प्रयोग करेगा। आपरेटर केवल राष्ट्रीय जैविक मानकों (नेशनल स्टैण्डर्स फार आरगैनिक प्रोडक्शन, एन0एस0ओ0पी0) के अन्तर्गत अनुमन्य उत्पाद का ही प्रयोग करेगा।

5. आपरेटर किसी भी उत्पाद की खरीद से पूर्व उत्पाद पर लगे लेबल तथा अन्य विवरण जो उसके साथ संलग्न हों का निरीक्षण करेगा , तथा इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जिन उत्पादों की वह खरीद कर रहा है वह राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानकों (नेशनल स्टैण्डर्स फार आरगैनिक प्रोडक्शन –एन0एस0ओ0पी0) के अनुरूप हैं।

6. यदि किसी जैविक उत्पाद के संदर्भ में कोई शंका अथवा संदेह हो , उस दशा में आपरेटर ऐसे उत्पादों का विक्रय नहीं करेगा तथा उन उत्पादों का विक्रय नहीं करेगा जिनमें इस उत्पाद का प्रयोग किया गया हो। इन शंकाओं के संम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के बाद ही उत्पाद को जैविक अथवा गैर–जैविक रुप में बेचा जायेगा।

7. ऐसी सभी इकाईयों पर जहां पर जैविक एवं गैर जैविक उत्पादन/ प्रसंस्करण या व्यापार एक ही इकाई से किया जा रहा है, आपरेटर सुनिश्चित करेगा कि जैविक एवं गैर–जैविक उत्पाद , उत्पादन / प्रसंस्करण / व्यापार तथा परिवहन

Uncontrolled document until not singed

उ0 प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था

U. P. State Organic Certification Agency

Government Garden Campus, Cariyappa Marg, Alambagh, Lucknow ï 226005

Contacts ï 0522-2451256 Fax No.-0522-245163 / +91-7991202027

Email id: - upsoca.org@gmail.com / Website: - upsoca.org

एवं भण्डारण आदि सभी अवस्थाओं में अलग–2 रहें तथा एक–दूसरे के सम्पर्क में न आये , और न ही एक दूसरें में मिल–जुल जायें।

8. आपरेटर जैविक उत्पाद की पैकेजिंग / इन्वाइस तथा डिलीवरी नोट पर खरीदनें वाले का नाम, पता तथा जैविक उत्पाद का स्टेटस, जिसमें लाट नम्बर सम्मिलित है, लिखेगा।

9. आपरेटर जैविक उत्पाद की लेबलिंग / हैण्डलिंग /ट्रान्सपोर्ट तथा विपणन राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानकों (नेशनल स्टैण्डर्स फार आरगैनिक प्रोडक्शन –एन0एस0ओ0पी0) के अनुरूप करेगा ।

10. उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था का नाम केवल 'प्रमाणित जैविक उत्पाद' पर ही निम्नवत संदर्भित किया जा सकता है :

‘m0i0 jk0t0i0l0& ,DjhfMV'ku l0 **NPOP/NAB/0029** }kjk iekf.kr ’

11. उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था के ykxks का प्रयोग ykxks i;kx dk fu;eks के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

12. आपरेटर राष्ट्रीय जैविक मानकों के अनुरूप उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था के निरीक्षकों को किसी भी समय निरीक्षण करने देगा , जिसमें बिना सूचना के निरीक्षण भी सम्मिलित है, तथा निरीक्षक को विश्लेषण हेतु नमूने भी लेने देगा विश्लेषण हेतु नमूने आई० एस० ओ० 17025 प्रमाणित परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजे जायेंगे।

13. आपरेटर जैविक प्रमाणीकरण निरीक्षकों को सभी खेतों, भवनों, पर जाने की अनुमति प्रदान करेगा तथा जैसी कि आवश्यकता हो प्रासंगिक दस्तावेजों को निरीक्षकों के मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा ।

14. आपरेटर उसके विरूद्व लगायी गयी lsdlu को मानेगा तथा उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था राष्ट्रीय जैविक मानकों के अनुरूप जो भी सुधार कार्य निर्धारित करेगी , उनका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

15. आपरेटर उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा lsdlUM जैविक उत्पाद के क्रेताओं को भेजे/अथवा बेचे गये जैविक उत्पाद के सम्बन्ध में लिखित रुप से सूचित करेगा ताकि उत्पाद पर से जैविक प्रमाणीकरण के पहचान चिन्हों को हटाया जा सके ।

16. आपरेटर द्वारा सहमति दी गयी है कि उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था अन्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थाओं से प्रासंगिक सूचना का विनिमय कर सकती है, यदि राष्ट्रीय जैविक मानकों ,जैसा कि समय–समय पर संशोधित हों, के अनुपालन में ऐसा करना आवश्यक हो।

i<k rFkk orekku vucU/k dh if"V dh

आपरेटर के हस्ताक्षर

निदेशक
उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था

स्थान दिनांक

(यह अनुबन्ध दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा)

Uncontrolled document until not singed